न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : **05/18 (अपील)**

अनवान्

1. श्री मांगीलाल पिता स्व. देवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2. श्री केवलराम पिता स्व. देवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
3. श्रीमती हुडी पुत्री स्व. देवा डांगी पत्नी डालु डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता स्व. टीला डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2. श्री अमरा पिता स्व. टीला डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
3. श्री सुखलाल पिता स्व. टीला डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
4. श्रीमती प्यारी पुत्री स्व. टीला पत्नी चेनराम डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
5. श्री गणेश पिता स्व. देवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
6. श्रीमती देउबाई पत्नी स्व. केरा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
7. श्री दीपा पिता स्व. देवा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
8. श्रीमान् सरपंच ग्राम पंचायत धोलीमगरी तह. मावली।
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब मावली तह. मावली।

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. धोलीमगरी, बाबत ना. सं. 137 दि. 23.12.1978

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.01.2020

1. अपीलाण्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत धोलीमगरी बाबत् नामान्तरण संख्या 137 दिनांक 23.12.1978 के विरूद्ध मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत आदेश दिनांक 23.12.78 विधि के विपरित होने से गलत हो अवैधानिक हैं।
2. यह कि मौजा धोलीमगरी पटवार क्षेत्र धोलीमगरी में परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1334, 1389 किता 2 रकबा 12 बिस्वा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 896, 897, 1316, 1322 किता 4 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, परिशिष्ट स में वर्णित

आराजी नम्बर 412, 878, 1318, 1377, 1400 किता 5 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा उपरोक्त परिशिष्ट अ, ब व स में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में हमारे पूर्वज देवा पिता मोती दादा माना के नाम दर्ज थी। जो जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 की नकल से स्पष्ट हैं।

3. यह कि अपीलाण्ट्स का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

देवा पिता मोती डांगी दादा माना

मांगीलाल, पुत्र | केवलराम, पुत्र | हुडी, पुत्री | भोली, पुत्री लाऔलाद फौत

उक्त सजरेनुसार देवा पिता मोती डांगी दादा माना के विधिक वारिसान में दो पुत्र मांगीलाल व केवलराम एवं दो पुत्रियॉ हुडी व भोली एवं उनकी पत्नी रूपीबाई हुई। जिसमें से पत्नी रूपीबाई फौत हो चुकी है, एवं भोली लाऔलाद फौत हो चुकी हैं।

4. यह कि अपील में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से लगायत 6 तक के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, किन्तु उक्त वर्णित आराजीयात अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में हो उनका उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक निर्विवाद ढंग से करते चले आ रहे हैं।

5. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में मूल पुरूष देवा पिता मोती डांगी दादा माना डांगी के नाम से खातेदारी अधिकारों के साथ राजस्व रेकार्ड खाता नम्बर 88, 89 व 90 में दर्ज रही। जो जमाबन्दी सम्वत् 2033 से सम्वत् 2036 स्पष्ट हैं। उक्त देवा पिता मोती डांगी दादा माना के फौत हो जाने पर उक्त वादवर्णित आराजीयात जिसके तत्कालीन खाता नम्बर 88, 89 व 90 रहे को विधिनुसार उसके वारिसान जो की हम अपीलान्ट्स है, के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी। किन्तु सहवन् से उक्त वर्णित आराजीयात देवा पिता मोती डांगी दादा माना के वारिसान हम अपीलान्ट्स के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होकर ग्राम के ही एक अन्य हमनाम व्यक्ति देवा पिता मोती डांगी के विधिक वारिसान जो कि रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 4 के पिता, रेस्पोडेन्ट्स सं. 5 एवं रेस्पोडेन्ट्स सं. 6 के पति एवं रेस्पोडेन्ट्स सं. 7 है, के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी। जबकि उक्त देवा पिता मोती दादा माना के विधिक वारिसान और उत्तराधिकारीगण हम अपीलान्ट्स होकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में हम अपीलान्ट्स हिस्सेनुसार कब्जे काश्त में होकर उपयोगरत हैं। किन्तु सम्बन्धित नामान्तरकरण अधिकारी सरपंच ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा देवा पिता मोती के फौत हो जाने पर उसके

विधिक वारिसान जो कि रेस्पोडेन्ट् सं. 1 से 4 के पिता, रेस्पोडेन्ट् सं. 5 एवं रेस्पोडेन्ट् 6 के पति एवं रेस्पोडेन्ट सं. 7 है, के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 137 दिनांक 23.12.78 के अन्तर्गत देवा पिता मोती के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कृषि भूमि जिसके तात्कालीन खाता सं. 91, 92, 93, 144, 145, 146, 147 व 162 रहे एवं उक्त वाद वर्णित आराजीयात जिसके तत्कालीन खाता नम्बर 88, 89 व 90 रहे जो कि हम अपीलान्ट्स के पिता के नाम दर्ज थी, उक्त खाता की कृषि भूमि को भी उक्त देवा पिता मोती के स्वामित्व की आराजीयात में शामिल करते हुए उक्त अपील में वर्णित आराजीयात का भी खातेदार उक्त देवा पिता मोती के विधिक वारिसान रेस्पो. सं. 1 से 4 के पिता, रेस्पोडेन्ट सं. 5 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 6 के पति एवं रेस्पोडेन्ट सं. 7 के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया जो कि गलत अंकन होने से उक्त नामान्तरकरण सं. 137 दिनांक 23.12.78 द्वारा ग्राम पंचायत धोलीमगरी के विरूद्व प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैं। जिसके मुख्य आधार निम्न प्रकार से है :–

1. यह कि सम्बन्धित पटवारी द्वारा बिना पुर्व के राजस्व रेकार्ड की जानकारी किये दिनांक 23.11.78 को किये गये इन्द्राज के आधार पर राजस्व रेकार्ड से परे जाते हुए अपीलाण्ट्स की पिता देवा पिता मोती दादा माना की आराजीयात खाता सं. 88, 89 व 90 को भी उक्त देवा पिता मोती की आराजीयात में सम्मिलित करते हुए केवल मात्र देवा पिता मोती के वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो कि पूर्णतया एबइनिशियों वोईड है, अर्थात् प्रारम्भतः शुन्य है एवं अवैध हो खारिज होने योग्य हैं।
2. यह कि प्रस्तुत अपील में वर्णित आराजीयात पूर्व में देवा पिता मोती दादा माना के संयुक्त स्वामित्व की आराजीयात हो जिसके तत्कालीन खाता नम्बर 88, 89 व 90 रहे जो कि संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 तक एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी पासबुक दिनांक 31.08.74 से स्पष्ट हैं। उक्त देवा पिता मोती दादा माना के फौत होने के पश्चात् उक्त वर्णित आराजीयात देवा पिता मोती दादा माना के विधिक वारिसान जो कि हम अपीलान्ट्स है के खातेदारी अधिकारों के साथ राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी, किन्तु उक्त वर्णित आराजीयात हम अपीलान्ट्स के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होकर अन्य हमनाम व्यक्ति देवा पिता मोती के विधिक वारिसानों के नाम उनकी खातेदारी की आराजीयात के साथ हम अपीलार्थी की मौरूषी कृषि भूमि को भी राजस्व

रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो अवैधानिक हो उक्त गलत इन्द्राज निरस्त होने योग्य हैं।

3. यह कि नामान्तरकरण अधिकारी सरपंच ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण के अन्तर्गत देवा पिता मोती के फौत होने पर खोले गये विरासत के नामान्तरकरण में सम्बन्धित पटवारी द्वारा दर्ज इन्द्राज दिनांक 23.11.78 के अन्तर्गत देवा पिता मोती दादा माना के नाम दर्ज खाता सं. 88, 89 व 90 के कुलिया हक हिस्से के रकबे को भी शामिल कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु सरपंच को सरपंच ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा स्वीकृत किया गया। जो अवैधानिक होकर गलत होने से उक्त इन्द्राज खारिज होने योग्य हैं।
4. यह कि अपील में वर्णित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 का कोई हक अधिकार नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात जिसके पूर्व में खाता सं. 88, 89 व 90 रहे कि कृषि भूमि हम अपीलान्ट के पिता देवा पिता मोती दादा माना के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज थी जो हमारे पिता है, और हम अपीलान्ट्स उनके विधिक वारिसान है, इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विरासत के आधार पर हम अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण खुलना चाहिए था। इस कारण भी यह नामान्तरकरण अवैध होने से खारिज होने योग्य हैं।

6. यह कि हम अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 15.05.2018 को हुई तब हम अपीलान्ट्स ने नामान्तरकरण की नकल निकलवाई। जबकि उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात हम अपीलान्ट्स के हक हिस्सेनुसार कब्जे काश्त में होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। चूंकि उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हम अपीलान्ट्स को नही होने से हम अपीलान्ट्स उक्त नामान्तरकरण सम्बन्धित कार्यवाही नहीं करे सके जिस बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वास्ते अवधि कण्डोन फरमाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।
7. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण सं. 137 दिनांक 23.12.78 को निरस्त फरमाया जाकर अपील में वर्णित आराजीयात में हम अपीलान्ट्स के नाम राजस्व रेकार्ड में देवा पिता मोती के वारिसान के बजाय हम अपीलान्ट्स का नाम राजस्व रेकार्ड में देवा पिता मोती दादा माना के विधिक वारिसान होने के कारण हिस्सेनुसार दर्ज किये जाने हेतु

आदेश फरमाया जावें। अन्य कोई दाद जो माननीय न्यायालय हम अपीलान्ट्स के पक्ष में उचित समझे दिलाई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 137 दिनांक 23.12.1978 को ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का भी प्रस्तुत किया हैं। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील अन्दर मयाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया हैं। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा कथन किया कि देवा पिता मोती डांगी के नाम से गांव में अन्य खातेदार होने से पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के मौरूस देवा पिता मोती डांगी के नाम की विरासत खोल कर अपीलान्ट की भूमि भी रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज कर दी गई। इसलिए उक्त नामान्तरकरण अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया हैं।

11. पत्रावली के अवलोकन एवं नामान्तरकरण के अवलोकन से ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं। पटवारी द्वारा देवा पिता मोती दादा माना डांगी के विरासत का नामान्तरकरण श्री टीला, गणेश, केरा, दीपा पिता देवा डांगी के नाम जांच करने के पश्चात् ही भरकर प्रस्तुत किया, जिस पर भू.अ.नि. द्वारा जांच कर पंचायत में प्रस्तुत किया है उसके आधार पर दिनांक 23.12.78 को ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के साथ जिन आराजीयात का अंकन किया है उनकी खाता सं. का नामान्तरकरण की खाता सं. से मिलान नहीं हो रहा हैं, ना ही अपीलान्ट्स द्वारा मिलान खसरा प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि अपीलान्ट्स की आराजी नम्बर को नामान्तरकरण के दौरान अन्य के नाम दर्ज कर लिया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ ग्राम पंचायत धोलीमगरी का

सजरा प्रस्तुत किया है जिस पर सरपंच के रूप में कैलाश के हस्ताक्षर है परन्तु उक्त सजरे पर कोई क्रम संख्या एवं कोई दिनांक का अंकन किया हुआ नहीं है एवं ना ही ग्राम विकास अधिकारी के सजरे पर हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रमाणित सजरा अपने आप में संशय पैदा करता है। अपीलान्ट्स का यह कहना कि देवा पिता मोती दादा माना नाम के दो व्यक्ति धोलीमगरी में होने से गलत विरासत खुल गई है, परन्तु उक्त तथ्य को साबित करने के लिए अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स दोनों के ही प्रमाणित सजरे प्रस्तुत नहीं किये है जो कि आवश्यक दस्तावेज थें। विरासत का नामान्तरकरण सन् 1978 में पारित हुआ है एवं अपीलान्ट्स द्वारा वर्ष 2018 लगभग 40 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें भी अपीलान्ट्स द्वारा इतनी लम्बी देरी का कोई स्पष्ट एवं ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया हैं। देवा पिता मोती दादा माना के विरासत का जो नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया है उसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई त्रृटि होना जाहिर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण विरासत का पारित किया हैं, उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

12. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 137 दिनांक 23.12.1978 को यथावत् रखा जाता हैं।

13. पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.06 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: